HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 5589/2026

Arun Kumar Meena S/o Shri Hanuman Prasad Meena, Aged About 26 Years, R/o Village Lasadia, Post Pachala, Tehsil Uniara, P.s. Aligarh, District Tonk, Rajsathan.
(Presently Confined At Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Veerendra Singh, Adv. with Ms. Manisha Meena, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP with Mr. Navdeep Singh

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

26/05/2026

आई.ए. 1/26 कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेपों को वेव किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदन में वर्णित कारणों को देखते हुए कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेपों को वेव किया जाता है। इसी अनुसार यह आवेदन निस्तारित किया जाता है।

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–एस.ओ.जी., जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**38/2023** अपराध अन्तर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भा.दं.सं. व धारा 3, 10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 में पेश किया गया है।

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन दिनांक 25.11.2025 को आवश्यकतानुसार नवीन जमानत आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता के साथ वापिस लिया गया था।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 07.09.2025 से अभिरक्षा में है, शेष विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अपराध की गंभीरता आदि को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में प्रार्थी–अभियुक्त पर यह आरोप रहा है कि उसके द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी (माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा, 2022) में अभ्यर्थी के रूप में आवेदन किया था तथा उसमें दो विषयों में अपने स्थान पर डमी कैंडिडेट को दस्तावेजों की कूटरचना करते हुए बैठाया।

यद्यपि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर अपराध का आरोप है लेकिन यह भी प्रकट हुआ है कि इस मामले में अभियुक्त को नियुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, उसका कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, दिनांक 07.09.2025 से अभिरक्षा में है, अनुसंधान होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है तथा इसी प्रकार के आरोप 13 अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये थे, जिनकी जमानत समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **अरूण कुमार मीणा पुत्र हनुमान प्रसाद मीणा** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया

जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

136(S)/DINESH KUMAWAT/754